क्रमांकः–डी0बी0एस0एल0एन0–बी0पी0एल0 पत्रा0 / 2025–26– 7647–7683
कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0।

प्रेषित,

समस्त पंचायत सचिव,
विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0।
दिनांकः– सोलन 19 जनवरी, 2026

विषयः– दिनांक 19 मार्च, 2025 के पत्र में संशोधनः प्रदेश **Below Poverty Line** में बी0पी0एल0 परिवारों के चयन हेतु समावेशन एवं बहिष्करण मानदंडों का उदारीकरण।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर सचिव (ग्रामीण विकास), हि0 प्र0 के कार्यालय पत्र संख्या ग्रा0वि0–एफ(4)–2 / 2024 दिनांक 12–01–2026 के सन्दर्भ मे क्रमांक (2) अनुसार बी0पी0एल0 परिवारों की तृतीय चरण (Phase-3) सूची हेतु चयन प्रकिया के लिये अधिसूचना संख्या ग्रा0वि0–एफ(4)–2 / 2024, दिनांक 19 मार्च, 2025 के समावेशन मानदंड पैरा 1(क)(i) एवं (ii) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया हैः–

(i) ऐसे परिवार, जिनमें 27 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चे सदस्य हों, अथवा ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन सदस्य हों तथा 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी सक्षम (वयस्क) सदस्य न हो।

(ii) ऐसे परिवार, जिनमें महिला मुखिया हो तथा जिनमें 27 से 59 वर्ष की आयु के मध्य कोई भी सक्षम पुरूष सदस्य न हो, जिनमें विधवा / अविवाहित / तलाकशुदा / परित्यक्ता महिलायें सम्मिलित हों।

उपरोक्त दोनों श्रेणियों के परिवारों को अधिसूचना दिनांक 19–03–2025 के पैरा 1 (ङ) के अन्तर्गत पक्का मकान से सम्बन्धित बहिष्करण मानदंड (i) से छूट प्रदान की जाती है, परन्तु पैरा (ङ) के अन्तर्गत अन्य बहिष्करण मानदंड (ii) से (v) यथावत लागू रहेंगे।

उक्त उदारीकरण श्रेणियों के अन्तर्गत प्रथम चरण सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों पर भी विचार किया जायेगा तथा नवीन आवेदन भी दिनांक 25 जनवरी, 2026 तक स्वीकार किये जा सकेगें। उपरोक्त पत्रांक के क्रमांक (1) (पत्र संलग्न), में वर्णित प्रकिया के पूर्ण होने के उपरान्त, अधिसूचना संख्या आरडी–एफ(4)–2 / 2024, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के अनुसार दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक खण्ड स्तरीय समिति द्वारा ऐसे परिवारों को पंचायतवार अधिसूचित कर बी0पी0एल0 परिवारों की "**तृतीय चरण सूची**" के रूप में प्रकाशित किया जायेगा।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप उपरोक्त पत्रांक में दिये गये दिशा–निर्देशों अनुसार नवीन आवेदन शपथ पत्र व समस्त वांछित दस्तावेजों सहित दिनांक 25 जनवरी, 2026 तक प्राप्त कर "पंचायत स्तरीय सत्यापन समिति" से सत्यापित करने उपरान्त दिनांक 28 जनवरी, 2026 को प्रातः 11:00 बजे पात्र आवेदकों की निम्न निर्धारित प्रपत्र अनुसार (सॉफ्ट व हार्ड कॉपी) सूची समस्त दस्तावेजों सहित खण्ड कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Sr. No.	Name of Panchayat	Number and Name of Ward	Name of Head of the BPL Family	Fathe/Husband Name	Village & Full Address	HIM Pariwar-ID	Contact Number

19/1/26
खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड सोलन

पृष्ठांकन संख्याः–यथोपरि। 7684–7686
दिनांकः–19/01/2026

प्रतिलिपिः–1 सचिव (ग्रामीण विकास), हि0 प्र0 की सेवा में सूचनार्थ।
2 अतिरिक्त उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0 की सेवा में सूचनार्थ।
3 उपमण्डलाधिकारी (ना0), सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0 की सेवा में सूचनार्थ व निवेदन है कि सम्बन्धित पटवारियों, जो कि "पंचायत स्तरीय सत्यापन समिति" के सदस्य हैं, को दिनांक 27 जनवरी, 2026 तक आवेदनों को सत्यापित करने के आदेश देने की कृपा करें ताकि दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक खण्ड स्तरीय समिति द्वारा पात्र परिवारों को पंचायतवार अधिसूचित कर बी0पी0एल0 परिवारों की "**तृतीय चरण सूची**" के रूप में प्रकाशित किया जा सके।
4 जिला विकास अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास विभाग, सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र की सेवा में सूचनार्थ।
5 जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास), सोलन, जिला सोलन, हि0 प्र0 की सेवा में सूचनार्थ व निवेदन है कि सम्बन्धित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, जो कि "पंचायत स्तरीय सत्यापन समिति" के सदस्य हैं, को दिनांक 27 जनवरी, 2026 तक आवेदनों को सत्यापित करने के आदेश देने की कृपा करें ताकि दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक खण्ड स्तरीय समिति द्वारा पात्र परिवारों को पंचायतवार अधिसूचित कर बी0पी0एल0 परिवारों की "**तृतीय चरण सूची**" के रूप में प्रकाशित किया जा सके।

19/1/26
खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड सोलन

हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
ग्राम पंचायत की बी०पी०एल०सूचि में चयन हेतु घोषणा/शपथ पत्र

मै...........................पुत्र/पुत्री/पत्नी..................................निवासी गाँव...........................ग्राम पचायत.....................विकास खंड Solan जिला Solan हि०प्र०|

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे परिवार में निमिलिखित सदस्य है तथा ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में मेरे परिवार का नाम दर्ज है :-

क्र०सं०	परिवार के सदस्य का नाम	लिंग	जाति	आयु	परिवार के मुखिया से सम्बन्ध

मैं यह प्रमाणित घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1(क) मेरे परिवार में 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं (हां/नहीं) सहायक साक्ष्य संलग्न (हां/नहीं)

1(ख) मेरे परिवार में 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं हाँ / नहीं व् 27-59 वर्ष की आयु का कोई भी सक्षम (व्यस्क) सदस्य नहीं है। (हां/नहीं) सहायक साक्ष्य संलग्न (हां/नहीं)

2 मेरा परिवार महिला मुखिया परिवार है तथा परिवार में 27-59 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी सक्षम पुरुष सदस्य नहीं है। (जिसमे विधवा/अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं शामिल हों) (हां/नहीं) सहायक साक्ष्य सलग्न (हां/नहीं)

3 मेरे परिवार मैं स्वयं मुखिया 50% (प्रतिशत) से अधिक विकलांग हूँ(हां/नहीं) सहायक साक्ष्य संलग्न (हां/नहीं)

4 मेरे परिवार के समस्त व्यस्क सदस्यों द्वारा पिछले वितीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिन काम किया है। (हां/नहीं) सहायक साक्ष्य संलग्न (हां/नहीं)

5 मेरे परिवार में कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाईमर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हिमोफिलिया, थैलीसिमिया या अन्य वीमारी से पीड़ित है. जिसके कारण वे स्थाई रूप से अक्षम हो गए हैं। (परिवार में एक से अधिक व्यक्ति पीड़ित हों तो उनका विवरण) (हां/नहीं) सहायक साक्ष्य संलग्न (हां/नहीं)

6 मैं और मेरे परिवार में कोई सदस्य जो आयकर देता है (हां/नहीं)

7 मेरे परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 50000 रूपए से अधिक नहीं है| प्रमाण पत्र संलग्न (हां/नहीं)

8 मेरे परिवार के पास एक हेक्टेयर से ज्यादा भूमि ? हाँ / नहीं
सहायक साक्ष्य संलग्न (हां/नहीं)

9 परिवार का कोई सदस्य जो सरकारी /अर्धसरकारी या निजी नौकरी में है I (हां/नहीं)

10 मेरा परिवार पंचायत अभिलेख अनुसार पिछले तीन बर्षों से अलग रह रहा है (हां/नहीं)
सहायक साक्ष्य संलग्न (हां/नहीं)

मै यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि इस घोषणा पत्र में दी गई जानकारी गलत पाए जाने की अवस्था में ग्राम पंचायत की बीपीएल सूची से हटाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी I

हस्ताक्षर

नाम:-

पिता/पति का नाम

पता:-

मोबाइल नम्बर:-